

मूल वाद में अन्तिम डिक्री  
न्यायालय सहायक कलक्टर, निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)  
पीठासीन अधिकारी :- विकास पंचोली ( R.A.S.)

राजस्व वाद 158/2016 (2016/01055)

1. श्री भंवरलाल पिता चतरभुज डांगी निवासी फलवा तहसील निम्बाहेड़ा जिला-चित्तौड़गढ़ (राज०)
2. मु० सापुबाई बेवा मांगीलाल डांगी निवासी फलवा तहसील निम्बाहेड़ा जिला-चित्तौड़गढ़ (राज०)
3. श्री हेमराज पिता मांगीलाल जी नाबालिग जरिये सरपरस्ती माता सापुबाई बेवा मांगीलाल डांगी निवासी फलवा तहसील निम्बाहेड़ा जिला-चित्तौड़गढ़ (राज०)
4. सुश्री सोनिया पुत्री मांगीलाल जी. नाबालिग जरिये सरपरस्ती माता सापुबाई बेवा मांगीलाल डांगी निवासी फलवा तहसील निम्बाहेड़ा जिला-चित्तौड़गढ़ (राज०)
5. श्री कालुराम पिता मांगीलाल जी नाबालिग जरिये सरपरस्ती माता सापुबाई बेवा मांगीलाल डांगी निवासी फलवा तहसील निम्बाहेड़ा जिला-चित्तौड़गढ़

-वादीगण

बनाम

1. श्री सुरेश पिता भैरूलाल ब्राह्मण निवासी फलवा तहसील निम्बाहेड़ा जिला-चित्तौड़गढ़ (राज०)
2. श्री सोसरबाई पुत्री भैरूलाल जी पत्नी पीन्दु डांगी निवासी हा०मु० फलवा तहसील निम्बाहेड़ा जिला-चित्तौड़गढ़ (राज०)
3. श्री पीन्दु पिता भागु डांगी आयु वयस्क निवासी फलवा तहसील निम्बाहेड़ा जिला-चित्तौड़गढ़ (राज०)

-प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम- 1955

अधिवक्ता वादी - सुधीर कुमार कुमावत  
अधिवक्ता प्रतिवादी नं० 1 - ऋषभ कुमार सेठिया

वादीगण का वाद पत्र अन्तर्गत धारा-88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 पर्याप्त सबूतों के परिपेक्ष्य में स्वीकार किया जाता है तथा वादीगण का वाद कतई डिक्री किया जाता है। तहसीलदार निम्बाहेड़ा को आदेश दिया जाता है की आराजी नम्बर 465 तादादी 0.0100 हैक्टेयर चाह के 1/2 भाग का खातेदार प्रतिवादी नं० 1 होगा, प्रतिवादी नं० 1 आराजी नम्बर 464, 465 के रास्ते से अपनी आराजी नं० 463, 464 पर आ जा सकेगा, कृषि उपकरण हल बैलगाडी,ट्रेक्टर ला सकेगा, ले जा सकेगा। प्रतिवादी नं० 1 का आराजी नं० 466 पर निर्मित ढालिया व अन्य निर्माण व पूर्ववत प्रतिवादी नं० 1 का बना रहेगा। प्रतिवादी नं० 1 को आराजी नं० 466 मे से 0.0200 हैक्टेयर भूमि का खातेदार घोषित किया जाता हैं। इसी प्रकार आराजी नं० 465 चाह तादादी 0.0100 हैक्टेयर के 1/2 भाग का खातेदार घोषित किया जाता हैं। तहसीलदार, निम्बाहेड़ा घोषणा अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करावें। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 08.10.2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया



(विकास पंचोली)  
सहायक कलक्टर,  
निम्बाहेड़ा  
सहायक कलक्टर  
निम्बाहेड़ा